

अनवान

श्री रोडू पिता रामचन्द्र नाई नि. पीपलुन्द तह. जहाजपुर

वादी.....

बनाम

1. श्री प्यार चन्द पिता नाथू नाई नि. पीपलुन्द तह. जहाजपुर
2. श्रीमति सोहनी बेवा नाथू नाई नि. पीपलुन्द तह. जहाजपुर
3. श्रीमति बाली पुत्री नाथू नाई नि. पीपलुन्द हाल पत्नि सत्यनारायण नाई नि.
मांडलगढ तह. जहाजपुर
4. तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण.....

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 92ए, 188 आर. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक

1. श्री अमित बिडला, वकील वादी

:: निर्णय ::

दिनांक 09.03.2021

वादी का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई है कि ग्राम पीपलुन्द प. ह. पीपलुन्द तहसील जहाजपुर की आ.न. 986, 1395/4, 1398, 1401, 1407, 1411, 1414/1 कुल किता 07 रकबा 07.14 बीघा में वादी व प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रेकार्ड के हक व हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बोण्ड्स (गुणावगुण) के आधार पर बंटवाडा प्रस्ताव तैयार करा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार जहाजपुर को आदेश दिया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार जहाजपुर को लिखा गया।

सहायक कलेक्टर
जहाजपुर (भीलवाडा)
जहाजपुर (नाल्येडा)

तहसीलदार जहाजपुर ने जरिये पत्र दिनांक 16.01.2020 को बंटवाडा प्रस्ताव भिजवाया गया। जिसे शामिल फाईल किया गया। बंटवाडा प्रस्ताव पर वकील वादी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। बंटवाडा प्रस्ताव से वादी भी सहमत है। जिससे बंटवाडा प्रस्ताव के अनुसार फाईनल डिक्री जारी किया जाना उचित समझता हूँ।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर प्राप्त बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार फाईनल डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है की :-
ग्राम पीपलुन्द प. ह. पीपलुन्द तहसील जहाजपुर

क्र.सं.	नाम खातेदार	आराजी नं.	रकबा	किस्म	लगान
1	रोडू पिता रामचन्द्र नाई सा. देह खातेदार इ.न. 3552	986/1	01.10	खा. I	01.80
		1395/4	0.09	गे.मु. रेखा 0.07 गे मुम. 0.02	-
		1398	01.00	चा. II	3.30
		1407	0.03	चा. II	0.49
		1401/1	0.15	बी. II	0.15
		कुल किता 05	03.17		05.74
2	प्यारचन्द पिता नाथू बाली पुत्री नाथु सोहनी देवी पत्नि नाथू नाई सा. देह इ.न. 3530	986/2	01.10	खा. I 1.07 बी. I 0.03	01.62
		1395/7	0.05	गे.मुम. 0.02 बंजड I 0.03	0.03
		1415/1	0.08	जा. II 0.02 चा. II 0.06	0.02
		1411	0.19	चा. II 0.16 बी I 0.03	
		1401/2	0.15	बी. II	0.15
		कुल किता 05	03.17		05.68

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में खाता अलग-2 दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री मुर्तिब किया जावे। पक्षकार खर्चा अपना-2 वहन करे।

आदेश आज दिनांक 09.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धर्मराज गुर्जर)
सहायक कलक्टर,
जहाजपुर (भीलवाडा)